फर्द अहकाम

घोलू वगैरह बनाम / यासी व अन्य

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

08/2024 (टी. आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
24/6/24	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी 5 40 पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र टी. आई. पूर्वानुसार दिनांक 03/7/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
03/7/24	आज दिनांक 03/07/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा शोक प्रस्ताव/ कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पीठा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश प्रा.टी.आई. पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/7/24 को पेश हों।	
16/7/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा.पत्र टी. आई. पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश/निर्णय दिनांक 25/7/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
25/7/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा.पत्र टी. आई. के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के प्रस्तुत तथ्यों व पत्रावली के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अंकित भूमि वादग्रस्त आ.ख.नं. 357, 358, 359 (हाल ख.नं.) कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 1.34 हे. अप्रार्थीगण के पूर्वज चांदू पुत्र रामदेव की विधिवत	

फर्द अहकाम

धोलू व अन्य बनाम सरकार व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 08/2024 (टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	25/7/24	प्रक्रिया के अन्तर्गत आवंटन / नियमन शुदा भूमि है। जिससे प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया कोई सम्बन्ध सरोकार प्रदर्शित नहीं होता है. ना ही प्रार्थीगण द्वारा उल्लेखित भूमि वादग्रस्त के संदर्भ में अपनी खुदकाश्तता / अधिवासिता अथवा हिस्सेदारिता के संदर्भ में कोई मान्य साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा ना ही प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम का पूर्व में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का पक्ष व सुविधा का संतुलन तथा अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होती है। प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार भूमि प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम कभी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं रही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। (विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल है) पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्रीमती श्यामा राठौड
प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या : 08/2024
निर्णय दिनांक : 25.07.2024

1. धोलु पुत्र स्व. महादेव
2. गोपाल पुत्र स्व. महादेव
3. भगवान पुत्र स्व. महादेव
4. सुवा पुत्र स्व० भूरा
5. सुल्तान पुत्र जगन्नाथ
6. हनुमान पुत्र जगन्नाथ
7. लक्ष्मण पुत्र जगन्नाथ
8. शिवदान पुत्र जगन्नाथ

समस्त जातियान गुर्जर समस्त निवासियान ग्राम स्यारी तहसील आमेर जयपुर।

बनाम

1.घासी पुत्र चौथू
2.कालू पुत्र चौथू
3.श्योदान पुत्र चौथू

–मुख्य अप्रार्थीगण

4.रामचन्द्र पुत्र बद्री
5.भेरु पुत्र चौखला
6.कालू पुत्र भगवान
7.रामेश्वर पुत्र भगवान
8.ग्यारसी पुत्र सुणाराम
9.रामकरण पुत्र सुणाराम

समस्त जातियान् गुर्जर निवासी ग्राम स्यारी तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जयपुर।
11. उप पंजीयक कार्यालय, आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से वाके ग्राम स्यारी तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ.ख.नं. 357, 358, 359 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 1.34 है. के सन्दर्भ में हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि उक्त उल्लेखित भूमि (विवादित भूमि) का मूल साबिक खसरा न. 77 रकबा 171 बीघा था। जिसकी 6 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे। जिसके आधार पर उक्त 6 बीघा भूमि का पक्षकारान के पूर्वजो के कब्जाकाश्त के रूप में नवीन खसरा न 77/5 के रूप में पृथक पर्चा/खाता कायम किया गया। जिसका अंकन खसरा गिरदावरी संवत 2024–2034 में किया गया। जिसके पश्चात उक्त भूमि के नवीन/हाल खसरा न. 357, 358, 359 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 1.34 है. कायम किए गए है। जिस पर अपने पूर्वजो के निधन पश्चात पक्षकारान विरासत के आधार पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। पक्षकारान के पूर्वजो में अप्रार्थीगण का पितामह चौथू पुत्र रामदेव राजस्व विभाग में कर्मचारी था। जिसके द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियो व कर्मचारियो से मिलीभगत कर उपरोक्त वर्णित आराजी भूमि ख.न. 77/5 रकबा 6 बीघा सम्पूर्ण को स्वयं के अकेले के नाम नियमन करवा कर स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज करवा ली गई। जिसकी जानकारी मिन प्रार्थीगण के पूर्वजो को नहीं हुई। उक्त भूमि ख.न. 77/5 के हाल ख.न. 357, 358, 359 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 1.34 है. की खातेदारिता चौथू पुत्र रामदेव के वारिसान कालू, घासी, श्योदान 1/3–1/3–1/3 हिस्सा के रूप में दर्ज अंकित है जबकि भूमि मे प्रार्थीगण 01 ता 8 व अप्रार्थी 4 ता 10 का भी हिस्सा अपने पूर्वजो के अंकित हिस्सानुसार निहित है। जिसके बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अप्रार्थीगण 1 ता 3 के गलत इन्द्राज को प्रार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण 4 ता 10 के निहित हिस्सानुसार दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है। राजस्व रिकॉर्ड में निरन्तर गलत अंकन एवं इन्द्राज के आधार पर भूमि गलत रूप से मात्र अप्रार्थीगण 1 ता 3 के नाम दर्ज अंकित है जबकि

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकार अपने पूर्वज/पितामह के हिस्सानुसार काबिज होकर वर्तमान में भी काश्त करते आ रहे है तथा पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में सभी पक्षकारान के पूर्वजो के नाम हिस्सेनुसार दर्ज अंकित है व इसी अनुरूप सभी पक्षकारान के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। जिससे प्रार्थीगण स्वयं के निहित हिस्सानुसार घोषणा/दुरूस्ती कराने के अधिकारी है। उल्लेखित वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में हुए गलत इन्द्राज एवं अंकन के उक्त तथ्यो की प्रार्थीगण को पूर्व में जानकारी नही थी, परन्तु वर्तमान में गॉव में रिंग रोड हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही के संदर्भ में तथा राजस्व रिकॉर्ड में विरासत के नामांतरण की कार्यवाही हेतु जमाबंदी की प्रति प्राप्त करने पर प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के पिता का नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई। जिसके बाबत अप्रार्थीगण 1 ता 3 से बात करने पर अप्रार्थीगण द्वारा रिकॉर्ड दुरूस्ती का आश्वासन दिया गया परन्तु प्रार्थीगण के निरन्तर निवेदनो के उपरान्त भी रिकॉर्ड में अंकित गलत इन्द्राज को दुरूस्त नहीं कराते हुए दिनांक 04.02.2024 को अप्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट इंकार कर दिया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण मय प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है जबकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज निर्बाध रूप से निरन्तर भूमि पर काबिज रहे है जिनके उपरान्त पक्षकारान निरन्तर काबिज चले आ रहे है। जिससे यदि अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की कृषि भूमि के हिस्से की कब्जेशुदा आराजी पर अविधिक प्रक्रिया अपनाकर नाजायज रूप से कब्जा कर उन्हें (प्रार्थीगण) बेदखल कर देंगे तथा भूमि को हस्तांतरित कर देंगे। जिससे प्रार्थीगण अपने पूर्वजो से प्राप्त हक हिस्से की कब्जेकाश्त की भूमि एवं मकानात के शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग व अपने विधिक अधिकारो से वंचित हो जावेगें तथा प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। अतः प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद/प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अधीन भूमि हाल आ.ख. नं. 357, 358, 359 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 1.34 है. वाके ग्राम स्यारी तहसील आमेर जिला जयपुर का विक्रय, हस्तांतरण आदि ना करे तथा प्रार्थीगण को अपने हिस्सानुसार प्रचलित कब्जाकाश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा/अवरोध कारित ना करें।

अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर जवाब प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण ने मिथ्या व आधारहीन अंकित किये है। प्रार्थीगण के किसी भी पूर्वज का खसरा नं. 77/5 पर कभी कोई कब्जा काश्त अथवा हक अधिकार नहीं रहा है न ही कभी उक्त भूमि का उपयोग उपभोग ही किया गया है अपितु भूमि खसरा नं. 77 रकबा 171 हैक्टर सिवाय चक भूमि थी जिसकी 6 बीघा भूमि के हिस्से पर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता चौथू पुत्र रामदेव का निरंतर कब्जा काश्त रहा तथा उनका उक्त भूमि पर निरंतर काबिज होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण मानते हुये उन पर पेनल्टी लगायी गयी तथा उनके द्वारा समय समय पर उस पेनल्टी का भुगतान किया गया था। अप्रार्थीगण के पिता स्व. चौथू का भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा भूमि पर लगातार कब्जा काश्त अतिक्रमण मानते हुये राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा अलॉटमेंट कमेटी के एडवाईजरी कमेटी के द्वारा प्रार्थी के पिता स्व. चौथू का भूमि खसरा न. 77/5 रकबा 6 बीघा भूमि को एडवाईजरी कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1972 को आवंटन कर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता के पक्ष में आवंटन कर नियमन कर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज अंकित कर दिया तथा उनके नाम से पर्चा लगान जारी कर दिया गया। तब से ही अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता स्व. चौथू पुत्र रामदेव का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन चला आ रहा था तथा दौराने अवधि बंदोबस्त खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा के नये खसरा नं. 357 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नं. 358 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नं. 359 रकबा 0.60 हैक्टर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता स्व. चौथू पुत्र रामदेव के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित चली आ रही है तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता स्व. चौथू पुत्र रामदेव द्वारा अपने जीवनकाल तक उक्त भूमि पर काबिज काश्त होकर भूमि का बिना किसी बाधा व रूकावट के उपयोग, उपभोग व कब्जे काश्त करता चला आ रहा था तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके विधिक वारीसान में उनके पुत्र अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का नाम विरासत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित चला आ रहा है तथा वे ही उक्त भूमि पर काबिज होकर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। जिससे प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का कभी भी वादग्रस्त भूमि से संबंध व सरोकार नही रहा है। न ही उनका कभी भी कब्जा काश्त ही रहा है। न ही उनके द्वारा कभी कोई लगान ही अदा किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता तथा चौथू पुत्र रामदेव का भूमि खसरा न 77/5 रकबा 6 बीघा भूमि पर लंबे अरसे से सिवाय चक भूमि पर कब्जा काश्त होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर उन पर अतिक्रमण के आधार शास्ति अधिरोपित की गयी थी तथा उनके द्वारा उक्त शास्तियों को समय–समय पर जमा करवाया गया था तथा स्व. चौथूराम का उक्त भूमि पर लंबे अरसे से कब्जा काश्त मानते हुये राजस्व विभाग द्वारा अलॉटमेंट कमेटी के द्वारा उनके पक्ष में विधिवत रूप से उक्त

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

भूमि का आंवटन नियमन करने की सिफारिश की गयी थी तथा उस सिफारिश के आधार पर ही अप्रार्थी के पिता स्व चौथूराम पुत्र रामदेव के नाम से भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघ भूमि 1972 में आवंटन नियमन की गयी थी। जिससे उक्त भूमि कभी भी प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों के नाम नहीं रही है न ही कभी भी उनका उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त ही रहा है। विवादग्रस्त भूमि के खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा हाल खसरा नं. 357,358,359 पर कभी भी प्रार्थीगणों के पूर्वजों का कब्जा काश्त नहीं रहा है बल्कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता चौथू पुत्र रामदेव काबिज होकर निरंतर काश्त करता चला आ रहा था तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 ता 3 निर्बाध रूप से बिना किसी व्यक्ति के हक हिस्से के उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमि कभी भी प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम नहीं रही है न ही कभी भी उनका कब्जा काश्त ही रहा है। जब प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों का वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त ही नहीं रहा, न ही राजस्व रिकॉर्ड में कभी कोई अंकन ही नहीं रहा तो प्रार्थीगण का विरासत के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने का कोई आधार ही उत्पन्न नही होता है। भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा की भूमि में प्रार्थीगण के पूर्वजों पितामह, पिताजी का कभी कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। न ही कभी उनके नाम कोई खतौनी ही रही है। जब प्रार्थीगण के पितामह, पिता आदि का कभी कब्जा काश्त नही रहा है, न ही कभी राजस्व रिकॉर्ड में कभी अंकन रहा है, न ही उनके नाम से खतौनी रही है तो उक्त भूमि भूरा, महादेव, बद्री का हिस्सा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है, न ही भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा पर अप्रार्थीगण के पिता के अलावा किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध, सरोकार, हित व अधिकार निहित रहा है। भूमि खसरा नं. 77 रकबा 171 हैक्टर सिवाय चक भूमि थी जिसकी 6 बीघा भूमि के हिस्से पर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता चौथू पुत्र रामदेव का निरंतर कब्जा काश्त रहा तथा उनका उक्त भूमि पर निरंतर काबिज होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण मानते हुये उन पर पेनल्टी लगायी गयी तथा उनके द्वारा समय समय पर उस पेनल्टी का भुगतान किया गया था अप्रार्थीगण के पिता स्व. चौथू का भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा भूमि पर लगातार कब्जा काश्त अतिक्रमण मानते हुये राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा अलॉटमेंट कमेटी के एडवाईजरी कमेटी के द्वारा प्रार्थी के पिता स्व. चौथू का भूमि खसरा न. 77/5 रकबा 6 बीघा भूमि को एडवाईजरी कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1972 को आवंटन कर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता के पक्ष में आवंटन कर नियमन कर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज अंकित कर दिया तथा उनके नाम से पर्चा लगान जारी कर दिया तब से ही अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता स्व. चौथू पुत्र रामदेव का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन चला आ रहा था तथा दौराने अवधि बदोबरत खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा के नये खसरा नं. 357 रकबा 0.69 हेक्टर, खसरा नं.358 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नं. 359 रकबा 0.60 हेक्टर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता स्व. चौथू पुत्र रामदेव के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित चली आ रही है तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता स्व. चौथू पुत्र रामदेव द्वारा अपने जीवनकाल तक उक्त भूमि पर काबिज काश्त होकर भूमि का बिना किसी बाधा व रूकावट के उपयोग, उपभोग व कब्जे काश्त करता चला आ रहा था तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके विधिक वारीसान में उनके पुत्र अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का नाम विरासत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित चला आ रहा है तथा वे ही उक्त भूमि पर काबिज होकर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। जिससे प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का कभी भी वादग्रस्त भूमि से संबंध व सरोकार नही रहा है। न ही उनका कभी भी कब्जा काश्त ही रहा है। न ही उनके द्वारा कभी कोई लगान ही अदा किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता तथा चौथू पुत्र रामदेव का भूमि खसरा न. 77/5 रकबा 6 बीघा भूमि पर लंबे अरसे से सिवाय चक भूमि पर कब्जा काश्त होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर उन पर अतिक्रमण के आधार शास्ति अधिरोपित की गयी थी तथा उनके द्वारा उक्त शास्तियों को समय–समय पर जमा करवाया गया था तथा स्व. चौथूराम का उक्त भूमि पर लंबे अरसे से कब्जा काश्त मानते हुये राजस्व विभाग द्वारा अलॉटमेंट कमेटी के द्वारा उनके पक्ष में विधिवत रूप से उक्त भूमि का आंवटन नियमन करने की सिफारिश की गयी थी तथा उस सिफारिश के आधार पर ही अप्रार्थी के पिता स्व चौथूराम पुत्र रामदेव के नाम से भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा भूमि 1972 में आवंटन नियमन की गयी थी जिससे उक्त भूमि कभी भी प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों के नाम नहीं रही है न ही कभी भी उनका उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त ही रहा है। प्रार्थीगण के पूर्वजों पितामह एवं अन्य किसी का भी भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा अथवा हाल खसरा नं. 357,358,359 पर कभी काबिज काश्त रहे है, न ही वर्तमान में प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त ही है। जब प्रार्थीगण के पूर्वजों का ही कभी वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा, काश्त व राजस्व रिकॉर्ड में कभी कोई अंकन ही नहीं रहा है तो प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा अप्रार्थीगण के पिता को जरिये आवंटन पत्र आवंटित हुयी थी तथा आवंटन होने के पश्चात अप्रार्थीगण के पिता का नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन रहा है तथा उनके द्वारा उक्त भूमि पर काबिज होकर

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

निरंतर, लगातार काश्त करते चले आ रहे थे। दौराने अवधि बंदोबस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा के हाल खसरा नं. 357,358,359 बने। इस प्रकार अप्रार्थीगण 1 ता 3 के पिता निरंतर, लगातार उक्त भूमि के एकमात्र खातेदार काश्तकार रहे है तथा उनके द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी बाधा व रूकावट के कब्जे काश्त करते रहे है तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 ता 3 उक्त भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा व रूकावट के कब्जे काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण तथा उनके पूर्वजों का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा, काश्त, हक व अधिकार निहित नहीं रहा है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि चौथू पिसरान रामदेव राजस्व विभाग में नहीं थे बल्कि कृषि विभाग में कर्मचारी थे उनको राजस्व विभाग की जानकारी नहीं है, वह मात्र कृषि विभाग में चपरासी के पद पर कार्यरत था। चौथू पिसरान रामदेव ने किसी से कोई मिलीभगत व सांठगांठ नहीं की बल्कि भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा पर काफी वर्षों से काबिज होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा उक्त भूमि अतिक्रमण मानते हुए उन पर पेनल्टी अधिरोपित की गयी तथा आवंटन कमेटी की सिफारिश के आधार पर उक्त भूमि पर निरंतर काबिज मानते हुये उसके पक्ष में विधिवत रूप से भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा दिनांक 31.02.1972 को आवंटित कर नियमन कर दिया तथा उसके नाम पर्चा लगान जारी कर दिया तथा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार के रूप में नाम दर्ज अंकित कर दिया तब से ही रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में बिना किसी बाधा व रूकावट के अप्रार्थीगण की जानकारी में वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा हाल खसरा नं. 357,358,359 पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था तथा स्व. चौथू के स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज अंकित चला आ रहा है तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण व उसके पूर्वजों को भली भाँति रही है। प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों का भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा हाल खसरा नं. 357,358,359 से कभी कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है न ही प्रार्थीगण व उसके पूर्वजों ने कभी कब्जा काश्त ही किया है। जब वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का कभी कोई कब्जा काश्त ही नहीं रहा तो उनका उक्त भूमि पर कृषि कार्य करने का आधार ही नहीं है। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वजों को पूर्ण रूप से जानकारी रही है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा भूमि चौथू राम के नाम राजस्व विभाग द्वारा सन 1972 में आवंटित कर नियमन किया गया था तब से स्व. चौथू उक्त भूमि का एकमात्र खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में रहा है तथा वही काबिज होकर उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है जिससे प्रार्थीगण द्वारा वर्णित तथ्य मिथ्या आधारों पर आधारित होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा हाल खसरा नं. 357,358,359 कभी भी प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं रही है न ही प्रार्थीगण के पूर्वजों व प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कोई कब्जा ही रहा है बल्कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा भूमि अप्रार्थीगण 1 ता 3 के पिता स्व. चौथू के नाम आवंटन शुदा भूमि है जिसका एकमात्र खातेदार काश्तकार स्व. चौथू पुत्र रामदेव अपने जीवनकाल तक रहा है तथा उसके द्वारा उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता रहा है तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात उसके विधिक वारिसान अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज होकर चला आ रहा है। जिससे प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को किसी भी अस्थायी निषेधाज्ञा से कानूनन पाबंद करवाने के कोई कानूनन अधिकारी नहीं है क्योंकि वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण का कभी भी कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। न ही वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त ही रहा है जब प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि से कभी कोई संबंध सरोकार ही नही रहा है तो उनके द्वारा उक्त भूमि पर रिकार्डेड खातेदार को कानूनन पाबंद करवाने के अधिकारी नहीं है। न ही प्रार्थीगण को कोई किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति कारित हो रही है बल्कि प्रार्थीगण को पाबंद किये जाने से उनको अप्रार्थीगण 1 ता 3 को ऐसी अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी प्रकार संभव नहीं होगा क्योंकि अपूर्णीय क्षति का बिंदू प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे पूर्णतः साबित है। वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा हाल खसरा नं. 357,358,359 कभी भी प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं रही है न ही प्रार्थीगण के पूर्वजों व प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कोई कब्जा ही रहा है बल्कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा भूमि अप्रार्थीगण 1 ता 3 के पिता स्व. चौथू के नाम आवंटन शुदा भूमि है जिसका एकमात्र खातेदार काश्तकार स्व. चौथू पुत्र रामदेव अपने जीवनकाल तक रहा है तथा उसके द्वारा उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता रहा है तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात उसके विधिक वारिसान अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज होकर चला आ रहा है। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित न होकर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलेक्टर (कोट टेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के प्रस्तुत तथ्यों व पत्रावली के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित भूमि वादग्रस्त अप्रार्थीगण सं 1 ता 3 के पूर्वज चौथू पत्र रामदेव की विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत आवंटन / नियमनशुदा भूमि है जिससे प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण का कोई संबंध सरोकार प्रदर्शित नहीं होता है, ना ही प्रार्थीगण द्वारा उल्लेखित भूमि वादग्रस्त के संदर्भ में अपनी स्वामित्व / अधिकारिता अथवा हिस्सेदारिता के संदर्भ में कोई मान्य साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा ना ही प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम का पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का पक्ष व सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होती है। प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार भूमि प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम कभी राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं रही है। अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय, जयपुर

(श्यामा राठौड़)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर